संख्या-91/2022/815/तीस-3-22-06बी-2014

प्रेषक,

डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 26 जुलाई, 2022

विषयः- उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में सड़क सुरक्षा कोष (राजस्व मद) में प्राविधानित धनराशि रू0 1500.00 लाख के सापेक्ष कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 14-05-2022 में अनुमोदित कुल धनराशि रू0 1433.10 लाख के सापेक्ष सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित कार्यों हेतु धनराशि रू0 17.70 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-493स0सु0/2022-08स0सु0/2021, दिनांक 07 अप्रैल, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में सड़क सुरक्षा कोष (राजस्व मद) में प्राविधानित धनराशि रू0 1500.00 लाख के अन्तर्गत कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 14-05-2022 में अनुमोदित कुल धनराशि रू0 1433.10 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 17.70 लाख को सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित कार्यों हेतु उनके सम्मुख अंकित विवरण के अनुसार व्यय किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(रूपये लाख में)

क्र0 सं0	प्रस्तावित मद	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत हेतु अनुमोदित धनराशि
1	2	3
(1)	कार्यालय व्यय एवं अन्य विविध व्यय-कार्यालय व्यय/रोड सेफ्टी वेबसाइट /स्टेशनरी/कम्प्यूटर/ प्रिन्टर/साफ्टवेयर आदि के क्रय हेतु।	10.00
(2)	परिवहन आयुक्त कार्यालय में सड़क सुरक्षा सेल के अन्तर्गत कार्यरत आउटसोर्सिंग कार्मिकों के मानदेय का भुगतान हेतु।	7.70
	योग-अन्य व्यय -	17.70

नियम व शर्ते / प्रतिबन्ध

(1) आवंटित धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 का अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) उपरोक्त के सम्बन्ध में व्यय की जाने वाली धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराने का दायित्व परिवहन आयुक्त का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रु0 17.70 लाख (रुपये सत्रह लाख सत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक मे परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3055-सड़क परिवहन-800-अन्य व्यय-05-उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-42-अन्य व्यय में प्रावधानित धनराशि रू0 1500.00 लाख के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
(डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा)
विशेष सचिव।

संख्या-91/2022/815(1)/तीस-3-22-06बी-2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
8- वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
ह0/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://s asanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।